तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/10/20	वास्ते बहस 16/10/20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
20/1/26	पत्रावली मुलतवी से ली गई पेश हुई। वकील पक्ष. उपस्थित। वास्ते बहस 20/2/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
20/2/26	पत्रा. पेश। वकील पक्ष. उपस्थित। बहस सुनी व मर्जी उपरान्त व [illegible] नोटिस व [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वास्ते आदेश 6/3/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
6/3/26	पत्रा पेश। वास्ते आदेश 25/3/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
25/3/26.	पत्रा. पेश। प्रकरण में आवेदिका द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा उसकी भूमि की [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चारदीवारी तोड़कर उस पर निर्माण कार्य किया गया। आवेदिका का नाम जमाबंदी एवं गिरदावरी अभिलेखों में दर्ज है, जिससे उसका प्रथम दृष्टया अधिकार स्थापित होता है। प्रतिवादियों द्वारा भूमि पर सामुदायिक भवन होने एवं सार्वजनिक उपयोग का दावा किया गया है, तथापि उक्त उपयोग की अवधि एवं वैधता का अंतिम परीक्षण वाद के विचारण में किया जाना शेष है। प्रस्तुत परिस्थितियों में यह प्रतीत होता है कि यदि वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो भूमि की प्रकृति में और परिवर्तन संभव है, जिससे आवेदिका को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः संतुलन की सुविधा एवं न्यायहित में, अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखना उचित है। अतः पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन न करें, न ही कोई नया निर्माण / विस्तार करें, जब तक	उपखंड अधिकारी रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद का अंतिम निर्णय नहीं है। जाता।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को सुनाया गया।

Che
25/03/2026
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी